



प्रेषक,

सोमनाथ,
संयुक्त सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**लोक निर्माण अनुभाग-14****लखनऊ : दिनांक- 07 अक्टूबर, 2026**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजनान्तर्गत कतिपय क्षेत्रों के कुल 14 चालू कार्यों पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मुO-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-24801/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2026-27, दिनांक 22-09-2026, 24888/CE-HQ1/CHINIMILL/GKP/2026-27, दिनांक 25-09-2026, 24890/CE-HQ1/CHINIMILL/MBD/2026-27, दिनांक 25-09-2026, 24894/CE-HQ1/CHINIMILL/MRT/2026-27, दिनांक 25-09-2026 एवं 24912/CE-HQ1/CHINIMILL/BAR/2026-27, दिनांक 25-09-2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/नवनिर्माण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित चालू कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹0 160.68 लाख (रुपये एक करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्रO सO	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक लागत	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अनुरक्षण की लागत	अनुरक्षण की लागत घटाने के उपरान्त धनराशि	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा.ख. पीलीभीत	शाहगढ मानपुर से सिसैया मार्ग सी०सी० पुलिया तक शाहगढ मानपुर से सिसैया मार्ग गजरोला खुर्द गुरुद्वारा तक सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण का कार्य (202600003100127)	161.25 161.25	3.32	157.93	11.01	146.92	50.01	50.00
2	प्रा.ख. देवरिया	मिश्रौली घाटी सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	26.96 24.28	6.06	18.22	1.82	16.4	13.72	2.68
3	प्रा.ख. देवरिया	सोहनपुर जैतपुर सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	21.48 19.57	4.85	14.72	1.45	13.27	11.36	1.91
4	प्रा.ख. देवरिया	लक्ष्मीपुर मिर्जापुर सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	43.80 39.98	9.93	30.05	2.96	27.09	16.92	10.17
5	प्रा.ख. देवरिया	भटनी सठियाँव सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य।	26.75 24.13	6.01	18.12	1.81	16.31	10.10	6.21
6	प्रा.ख. मुरादाबाद	मुरादाबाद काँठ मार्ग से भीकनपुर कूरी रवाना मार्ग	54.69 54.69	12.16	42.53	3.70	38.83	35.13	3.70

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	प्रा.ख. मुरादाबाद	पाकबाड़ा अमरोहा रोड से गुरेठा तक	82.69 82.69	14.18	68.51	4.41	64.1	59.69	4.41
8	प्रा.ख. मुरादाबाद	नसीरपुर-हरीनूरपुर से उमरी पी.डब्लू.डी. मार्ग की ओर प्रथम भाग	41.66 41.66	6.48	35.18	2.82	32.36	12.82	19.54
9	नि.ख. मेरठ	कक्केपुर से सरूरपुर मार्ग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	58.32 58.32	1.30	57.02	3.95	53.07	42.19	10.88
10	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में शाहजहापुर से पुसार मार्ग प्रथम भाग का पुर्ननिर्माण का कार्य।	45.21 45.21	2.00	43.21	3.06	40.15	29.53	6.30
11	प्रा.ख. बागपत	जनपद बागपत में शाहजहापुर से पुसार मार्ग द्वितीय भाग का पुर्ननिर्माण का कार्य। [264150]	39.25 39.25	0.50	38.75	2.66	36.09	26.97	5.00
12	नि.ख.-1 पीलीभीत	बीसलपुर पीलीभीत रोड से मोहम्मदपुर अमखिडिया मार्ग पर पुनःनिर्माण का कार्य।	31.50 31.50	8.07	23.43	1.66	21.77	5.25	8.73
13	नि.ख.-1 पीलीभीत	बीसलपुर पीलीभीत मार्ग से बहादुर हुक्मी का उत्तरी भाग सम्पर्क मार्ग पर पुनः निर्माण का कार्य।	44.37 44.37	12.11	32.26	2.06	30.2	5.25	13.70
14	नि.ख.-1 पीलीभीत	अमखेड़ा से मधुपुरी सम्पर्क मार्ग पर पुनः निर्माण का कार्य।	57.66 57.66	17.66	40.00	2.54	37.46	5.25	17.45
योग									160.68

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैन्युअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिष्कृत लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।
- (4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी०सी०एल०प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मुख्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित आवंटन में से अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जाये।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,60,68,000 (रुपये एक करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054043371355 चीनी मिल परिक्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु मार्गों का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण / नवनिर्माण / पुनर्निर्माण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
- 5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
- 6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
- 12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु०-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ०प्र० शासन।
- 16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सोमनाथ
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।